(157)

संख्या — /XIV–1/2012–5(5)/2009

प्रेषक,

सी0एम0एस0 बिष्ट,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियॉ,
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभागः–1 देहरादून, दिनॉक 23 मार्च, 2012

विषयः– राज्य के जनपद–बागेश्वर, चम्पावत, रूद्रप्रयाग तथा उत्तरकाशी में एकीकृत सहकारी विकास परियोजना लागू किये जाने के लिये डी0पी0आर0 के शुल्क भुगतान हेतु वर्ष 2011–12 में एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–10447/नियो0/आई0सी0डी0पी0(40)/2011–12 दिनांक 18 फरवरी, 2012 एवं शासनादेश सं0– 393/XIV–1/2010–5(5)/2010 दिनांक 04 अक्टूबर 2010 जिसके द्वारा पूर्व में अवमुक्त धनराशि रू0 2.94 लाख है, के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बागेश्वर, चम्पावत, रूद्रप्रयाग तथा उत्तरकाशी में प्रति जनपद ₹ 2.10 लाख की दर से कुल ₹ 8.40 लाख से प्रश्नगत चार जनपदों के लिये एकीकृत सहकारी विकास परियोजना की डी0पी0आर0 तैयार कराने व शासन में प्रस्तुत कर दिए जाने के उपरांत सलाहकार संस्था सहकारी प्रबंध संस्थान,देहरादून को 40 प्रतिशत देय शुल्क की धनराशि उपलब्ध कराने हेतु ₹ 3.36 लाख की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। उक्त धनराशि की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा राज्य सरकार को की जायेगी। उक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैः–

(1) उक्त वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि स्वीकृत धनराशि के उपयोग की मदवार/लक्ष्यवार अद्यतन वित्तीय/भौतिक प्रगति शासन को त्रैमासिक रूप से उपलब्ध करायी जायेगी तथा परियोजना का कियान्वयन समयबद्ध आधार पर सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना के अन्तर्गत अब तक स्वीकृत सभी ऋणो की प्रतिपूर्ति हो चुकी है और उसे कोषागार के सम्बन्धित लेखाशीर्षक में जमा कर दिया गया है।

(3) स्वीकृत अंशपूजी, ऋण एवं अनुदान की धनराशि, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा मूल रूप में स्वीकृत परियोजना में उल्लिखित शर्तो/मदों/लक्ष्यों के अनुसार व्यय की जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि, निगम की परियोजना के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में व समय समय पर प्राप्त शर्तो के अनुरूप नियंत्रित होगी तथा एन0सी0डी0सी0 के पत्र दिनांक

क्रमशः 2

20 जनवरी, 2010 व उपरोक्त संदर्भित पत्रों द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित् किया जाय।

(5) इन शर्तों के अनुपालन व परियोजना की प्रगति को सुनिश्चित किये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड की होगी

(6) आवश्यक उपयोगिता प्रमाणपत्र एवं इसकी सूचना यथासमय राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को तथा राज्य सरकार को त्रैमासिक रूप से अवगत कराना होगा और पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित होने के उपरान्त ही अवशेष धनराशि के उपयोग की कार्यवाही की जानी होगी।

2– इस शासनादेश के प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि किसी अन्य प्रयोजन के लिये प्रयोग में नही लाई जायेगी। अवमुक्त धनराशि के व्यय का लेखा परीक्षण नियमानुसार किया जायेगा तथामहालेखाकारउत्तराखण्ड द्वारा भी किया जा सकता है। प्रस्तर–1 में निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेगें।

3– उपर्युक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय व्ययक में सहकारिता विभाग से सम्बन्धित अनुदान संख्या–18 के अन्तर्गत निम्नलिखित लेखाशीर्षक/मद के नामें डाला जायेगाः–

(धनराशि ₹ हजार में)

लेखाशीर्षक		बजट प्राविधान	अवमुक्त धनराशि
2425–	सहकारिता–आयोजनागत		
00–			
800–	अन्य व्यय		
04–	एकीकृत सहकारी विकास परियोजना हेतु अनुदान (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पोषित)		
00–			
20–	सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	20000	336
	योगः–	**20000**	**336**

(₹ तीन लाख छत्तीस हजार मात्र)

यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या– 209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 तथा आदेश संख्या– 125/XXVII(1)/2012 दिनांक 12 मार्च, 2012 के क्रम में जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(सी0एम0एस0 बिष्ट)
अपर सचिव।

क्रमशः 3

संख्याः–490 (1)/XIV–1/2012, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि अवमुक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. अपर निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
4. वित्त अनुभाग–4/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, **बागेश्वर, चम्पावत, रूद्रप्रयाग एवं उत्तरकाशी**, उत्तराखण्ड।
6. जिला सहायक निबन्धक,सहकारी समितियां, **बागेश्वर, चम्पावत, रूद्रप्रयाग एवं उत्तरकाशी,** उत्तराखण्ड।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।
8. क्षेत्रीय निदेशक, एन0सी0डी0सी0, क्षेत्रीय कार्यालय, E-110, नेहरू कॉलोनी, देहरादून।
9. प्रभारी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. प्रभारी मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. निजी सचिव, मा0 मंत्री, सहकारिता को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
12. निजी सचिव–सचिव, सहकारिता, उत्तराखण्ड शासन।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र पालीवाल)
उपसचिव।